प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 783 सन 2021

अनवान :–

1. कमला पुत्री धनराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुमित्रा देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. जगतपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 149/147 की कुल 7.8430हैक प्रतिवादीया संख्या 1 सुमित्रादेवी तथा खाता संख्या 39/38 की कुल 7.5900हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 103/102 की कुल 5.8200हैक प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

वादीया के पिता धनाराम ने अपने जीवन काल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत दिनांक 03.03.1999 को वादीया के पक्ष में करवाई गई थी वादीया के पिता का देहान्त हो चुका है वादीया के पिता धन्नाराम के देहान्त होने पर वसीयत दिनांक 03.03.1999 के अनुसार खातेदार काश्तकार हो चुका थी किन्तु धन्नाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीया के भाई के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीया के भाई के वारिसान है ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर सहवन से वादीया के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कारण वादीया को उसके हक हिस्सा की भूमि बाहमी बटवारा में दे दी उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादीया के नाम दर्ज नही है जिसे वादीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादीया के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादीया के भाई के वारिसान के साथ हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वादीया के पिता धन्नाराम ने अपने जीवनकाल में वसीयत करवाई गई थी धन्नाराम का देहान्त हो चुका है धन्नाराम की वसीयत के अनुसार भूमि वादीया के नाम दर्ज होनी चाहिये थी सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो गई अब वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर वादीया के हक हिस्सा की भूमि वादीया को दी गई है वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज

615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी– बी के खाता संख्या 149/147 की कुल 7.8430हैक्‍ प्रतिवादीया संख्या 1 सुमित्रादेवी तथा खाता संख्या 39/38 की कुल 7.5900हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 103/102 की कुल 5.8200हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाम सें दर्ज है।

वादीया का कथन है कि वादीया के पिता धन्नाराम ने अपने जीवनकाल में वादीया के पक्ष में वसीयत करवाई गई थी वादीया के पिता धन्नाराम का देहान्त हो चुका है किन्तु वादीया के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हो जाने पर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो एक ही परिवार के सदस्य है ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर वादीया के हक हिस्सा की भूमि वादीया को दे दी जो जो वादीया काश्त करती आ रही है वादीया के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया के हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज होने पर परिवारिक समझौता में वादीया के हक हिस्सा की भूमि वादीया को दी जा चुकी है जो वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 149/147 के प0न0 238/407/(50) के किला न0 7 ता 14 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक्‍ कुल 3.0360हैक्‍ भूमि की वादीया खातदेार काश्तकार रहेगी शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 39/38 के प0न0 238/407(50) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक्‍ कुल 1.0120हैक्‍ भूमि वादीया खातेदार काश्तकार रहेगी शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–बी के खाता संख्या 103/102 के प0न0 238/407(50) के किला न0 21/2 , 22/2 ,23/2, 24/2 प्रत्येक 0.228हैक्‍ व प0न0 238/408(57) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक्‍ यानी 1.924हैक्‍ भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– थालडका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कमला पुत्री धनराम जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुमित्रा देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. राजपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. जगतपाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 923 सन 2021 निर्णय दिनांक–21.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 149/147 के प0न0 238/407/(50) के किला न0 7 ता 14 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 3.0360हैक भूमि की वादीया खातदेार काश्तकार रहेगी शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी बी के खाता संख्या 39/38 के प0न0 238/407(50) के किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.0120हैक भूमि वादीया खातेदार काश्तकार रहेगी शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मोजा चक 20 आरडब्ल्यूडी–बी के खाता संख्या 103/102 के प0न0 238/407(50) के किला न0 21/2 , 22/2 ,23/2, 24/2 प्रत्येक 0.228हैक व प0न0 238/408(57) किला न0 1 ता 4 प्रत्येक 0.2530हैक यानी 1.924हैक भूमि की वादीया खातेदार काश्तकार है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....थालडका